शिमला से प्रकाशित

शैल समाचार

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

प्रकाशन का 49 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 49 अंक-33 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 5-12 अगस्त 2024 मूल्य पांच रूपये

हिमकेयर योजना बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमकेयर योजना को बंद करने की प्रदेश सरकार की कोई मंशा नहीं है। इस योजना की कुछ कमियों को दूर कर इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके।

अग्निहोत्री हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा बतौर सदस्य मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना को बंद कर दिया है, जो सरासर गलत है। सच्चाई यह है कि राज्य सरकार ने कुछ अनियमितताएं पाए जाने के बाद केवल निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को सरकारी अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा जारी रहेगी। हिमकेयर कार्ड से स्वास्थ्य लाभ लेने पर सरकार द्वारा हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां मेडिकल बिल और उपचार की लागत में बहुत ज्यादा अंतर पाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा अभी निजी अस्पतालों को 150 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है जबकि सरकारी अस्पतालों को 307 करोड़ की अदायगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत कुल 457 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण प्रदेश में आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ लेने वाले पांच लाख 32 हजार परिवार ही पंजीकृत हैं, जबकि प्रदेश में ऐसे 14 लाख 83 हजार परिवार हैं, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में संचालित करने के लिए हर वर्ष केवल 50 करोड़ रुपये ही प्रदान करती है। इस वित्त वर्ष के शुरुआती छह माह में ही यह 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। शेष बचे महीनों में आयुष्मान के तहत सभी देनदारियों का भुगतान प्रदेश सरकार को करना होगा, जिसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान से जुड़े व्यय के संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से बातचीत की जाएगी।

स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बैरी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा और उप-निदेशक हिमकेयर व आयुष्मान भारत देवेंद्र कुमार भी इस मौके पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बी योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 43.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर के मुख्यमंत्री स्वाबलम्बन योजना के बंद किए जाने और स्टार्ट-अप योजना के बारे में जारी ब्यान को भ्रामक बताते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह की ब्यानबाजी कर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार ने न केवल पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को बढ़ाया है, बल्कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 जैसी नवीन योजनाएं भी शुरू की हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा प्रदान करना है और इसके लिए युवाओं को प्रोत्साहन, रियायतें और सब्सिडी प्रदान की जाती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की शुरू की गई योजनाओं को मिल रही सफलता को भाजपा के नेता पचा नहीं पा रहे हैं और आधारहीन ब्यानबाजी करने में व्यस्त है। ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना की आलोचना करने से पहले नेता प्रतिपक्ष को तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना को बंद करने के नेता प्रतिपक्ष के ब्यान की निंदा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं को विस्तार प्रदान किया है। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलम्बी योजना के अन्तर्गत इस वित्त वर्ष के लिए 50 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 10 हजार 340 आवेदन स्वीकार किए गए हैं और 43.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है। प्रदेश में इस योजना का लाभ उठाकर 6 हजार 819 यूनिट स्थापित की गई है और 1 हजार 110 युवा स्वावलम्बन की राह पर अग्रसर हुए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वायदों को पूरा होते देख भाजपा के नेता बौखलाहट में है। प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण कुछ समय के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ लेकिन प्रदेश सरकार युवाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष के नेताओं को प्रदेश में हो रहे विकास में योगदान देने के बारे में सोचना चाहिए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत अनुदान वितरित करने के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पूर्णतः कार्यशील आनलाइन पोर्टल का भी शुभारम्भ किया है। इस डिजिटल पहल से योग्य युवाओं को बिना किसी अनावश्यक देरी से योजना के लाभ सुनिश्चित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केवल डेढ़ वर्ष में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के सफल परिणाम सामने आये हैं जो प्रदेश में हो रहे सफल बदलावों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को अपने कार्यकाल का स्मरण करना चाहिए जब उन्होंने समाज के हर वर्ग के हितों की अनदेखी की।

रोहित ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गलत तथ्यों के आधार

शेष पृष्ठ 1 पर........

राज्यपाल ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता के साथ–साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने और शोध एवं नवाचार

के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए।

राज्यपाल ने यह बात राजभवन में राज्य के छः सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा विषय–वस्तु में मजबूत होने के अलावा वैश्विक परिदृश्य की उभरती मांगों के लिए भी प्रासंगिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम निरंतर अपडेट किए जाने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहे। उन्होंने कहा कि छात्रों के समग्र विकास के लिए शैक्षिक ज्ञान, शारीरिक शिक्षा के साथ–साथ खेल–स्पर्धाओं और अन्य गतिविधियों के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि आज के तकनीकी युग में विश्वविद्यालयों के डिजिटलीकरण की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को स्मार्ट परिसर बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए, जहां सामान्य शिक्षा के साथ–साथ छात्रों को प्रौद्योगिकी शिक्षा की भी सुविधा मिल सके। उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म से लेकर डिजिटल पुस्तकालयों और प्रशासन तक, इन उपकरणों को अपनाने पर बल दिया। यह हमारे विश्वविद्यालयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

उन्होंने कहा कि उचित रणनीति आर्थिक संसाधनों में आत्मनिर्भरता, उद्योगों के साथ साझेदारी स्थापित करने, पूर्व छात्रों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने और विश्वविद्यालयों के लिए संसाधन विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि छात्रों और शिक्षकों के बीच उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने से अनुसंधान और नवाचारों का व्यावसायीकरण हो सकता है, जो हमारे संस्थानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता में और अधिक योगदान देगा।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए दृढ़संकल्प है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से 'शैक्षणिक संस्थानों के समूह' के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में 9.56 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में कमी आई है और इसे सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या कृषि और बागवानी पर निर्भर है और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीक और नवाचार अपनाने से आर्थिकी को और मजबूत किया जा सकता है। राज्य के कृषि और बागवानी विश्वविद्यालयों की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है।

इससे पूर्व, राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने बैठक में राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और कार्यवाही का संचालन भी किया।

सचिव शिक्षा राकेश कंवर ने भी राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति प्रो. एस.पी. बंसल, डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर चंदेल, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति प्रो. शशि धीमान, अटल मेडिकल विश्वविद्यालय मंडी के डॉ. सुरेन्द्र कश्यप तथा चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के डॉ. नवीन कुमार ने भी इस अवसर पर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

सिरमौर जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य स्तरीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार सिरमौर जिले के पच्छाद उपमंडल के कोटला बड़ोग में राज्य स्तरीय आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह नशा मुक्ति केंद्र मादक पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों की सहायता करेगा और उन्हें नशीली दवाओं पर अपनी निर्भरता से उबरने तथा आत्मनिर्भरता के साथ समाज में फिर से एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री ने नशे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को मादक पदार्थों के खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसका उद्देश्य उन्हें नशे की लत से बचाना है। उन्होंने कहा कि के दौर में युवाओं को नशे से दूर रखना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि समाज को भी नशे की लत से जूझ रहे लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि वे दृढ़ इच्छाशक्ति से मादक पदार्थों का सेवन छोड़ सकें।

सुक्खू ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सिंथेटिक मादक पदार्थों के सेवन को खत्म करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र का उद्देश्य एक ही परिसर में सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करके इस संकट से उत्पन्न गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य मुद्दों से निपटना है।

नशा मुक्ति केंद्र में कमरे, शौचालय, भोजन की व्यवस्था, मनोरंजन स्थल, पुस्तकालय, व्यायामशाला और खेल, ध्यान और योग की सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त केंद्र में कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण और इन–हाउस उपचार, भोजन, कपड़े और लॉन्ड्री जैसी अनिवार्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस समग्र दृष्टिकोण का उद्देश्य नशे के आदी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सहायता और पुनर्वास सेवाओं का मानकीकरण करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे से जूझ रहे पुरुष और महिलाओं के लिए इस केंद्र में 100 बिस्तरों की सुविधा होगी। इस केंद्र का उद्देश्य राज्य के युवाओं को नशे से दूर रखना और समाज में सकारात्मक योगदान सुनिश्चित करना है। नशा मुक्ति केंद्र के लिए चयनित स्थल 157 बीघा और 07 बिस्वा में फैला हुआ है। यहां मौजूदा इमारतों को मामूली मरम्मत के साथ फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की योजना भी तैयार की गई है। लोक निर्माण विभाग को कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और ऐसे लोगों को मुख्यधारा में लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, राज्य सरकार आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करवाएगी। इसके अतिरिक्त केंद्र में नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों की उचित देखभाल के लिए पर्याप्त स्टाफ भी सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने लांस नायक प्रवीन शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लांस नायक प्रवीन शर्मा (26) के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने शहीद के परिवारजनों की हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी शहीद के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि शहीद की पार्थिव देह सोमवार सुबह चंडीगढ़ पहुंचेगी। प्रशासन द्वारा चंडीगढ़ से पार्थिव देह को लाने के लिए एंबुलेंस का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उपमंडलाधिकारी राजगढ़ को भी उचित दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को पैतृक गांव हब्बन में सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

लांस नायक प्रवीन शर्मा 10 अगस्त को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन रक्षक के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। वह वन पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात थे।

राज्यपाल ने ग्लेन में देवदार का पौधा रोपित किया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रास सोसायटी और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पौध रोपण अभियान में राज्यपाल शिव

प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्यतिथि भाग लिया। उन्होंने शिमला के अन्नाडेल के निकट ग्लेन में देवदार का पौधा रोपित किया। अभियान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अन्नाडेल स्कूल के जूनियर रेडक्रास स्वयं सेवकों ने 250 पौधे रोपित किए।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने पौध रोपण अभियानों में सहभागिता सुनिश्चित कर प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के साथ–साथ हमें उनका संरक्षण भी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही प्राकृतिक आपदाएं चिंता का विषय है, जिसके लिए हमें पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण को बढ़ावा देना होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से सितंबर, 2024 तक 80 करोड़ और मार्च, 2025 तक 1.4 अरब पौधे लगाना है। राज्यपाल ने कहा कि इस अभियान में हर व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण योजना के तहत पौधारोपण के लिए वन विभाग को 150 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया है। इस राशि का उद्देश्य राज्य में हरित आवरण को विस्तार प्रदान कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वन विभाग ने राज्य में नौ हजार हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी और राज्य रेडक्रास के स्वयं सेवक भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक– बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने जेजों में हुए हादसे पर दुःख व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंजाब के जेजों क्षेत्र में बाढ़ के कारण ऊना जिले के देहला के नौ व्यक्तियों की मौत की दुःखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस दुःख की घड़ी में उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और इस संबंध में ऊना के जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 12 लोग विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी खड्ड के पानी के बढ़े हुए बहाव में वाहन बह गया। अब तक नौ शव बरामद किए जा चुके हैं, एक व्यक्ति घायल है और शेष दो व्यक्तियों की तलाश जारी है।

टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 आईजीएमसी शिमला और चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पद भरने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त, 2024 को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की

घटना में जान गवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आपदा प्रभावित उन परिवारों को 1 अगस्त, 2024 से 31 अक्तूबर, 2024 तक तीन महीने की अवधि के लिए शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रें में 5,000 रुपये प्रतिमाह किराये पर आवासीय सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ-साथ उन्हें मुफ्त राशन, एलपीजी सिलेंडर, बर्तन और बिस्तर भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता भी वितरित की जाएगी।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 पद और मनोचिकित्सक तथा क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के चार-चार, स्टाफ नर्स के 300, रेडियोग्राफर के 2, वार्ड ब्वॉय के 47, ऑपरेशन थियेटर सहायक के 4, ट्रांसप्लांट कॉर्डिनेटर के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कर्मचारी के 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल हैं।

आईजीएमसी, शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है। आईजीएमसी शिमला में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के 21 और चमियाना अस्पताल में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा अधिकारी के 7 पद शामिल हैं। स्टाफ नर्स के 400 पद, ऑपरेशन थियेटर सहायक के 43, नर्सिंग ऑर्डरली-सह-ड्रेसर के 11, आहार विशेषज्ञ के 2, फिजियोथेरेपिस्ट का एक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्ज कन्सैशन एंड मिनरल्ज प्रिवेन्शन ऑफ इल्लिगल माइनिंग, ट्रांसपोटेशन एंड स्टोरेज नियम, 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत, राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भूमि मालिकों की सहमति से खनिजों को निकालने के लिए नीलाम किया जा सकेगा जिसके लिए भूमि मालिकों को वार्षिक बोली राशि का 80 प्रतिशत दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सतत् खनन को बढ़ावा देने तथा खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदी तल में खनिज उत्खनन को मशीनरी के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। नदी तल में खनन की गहराई को मौजूदा एक मीटर से बढ़ाकर दो मीटर किया गया है। हर मानसून के मौसम के बाद कृषि क्षेत्रों से दो मीटर की गहराई तक रेत और बजरी निकालने की अनुमति का प्रावधान किया गया है, जिसे गैर-खनन गतिविधि माना जाएगा। इसके अलावा, नए संशोधनों में इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क के रूप में पांच रुपये प्रति टन, ऑनलाइन शुल्क के रूप में पांच रुपये प्रति टन और दूध उपकर के रूप में दो रुपये प्रति टन शुल्क लिया जाएगा। गैर-खनन गतिविधियों से प्राप्त सामग्री के उपयोग के लिए रॉयल्टी का 75 प्रतिशत 140 रुपये प्रति टन प्रसंस्करण शुल्क सरकार को देय होगा।

मंत्रिमंडल ने पुलिस आरक्षियों के पदों की भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने को स्वीकृति प्रदान की।

राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमण्डल ने रसायनमुक्त उत्पादन और उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए हिम उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50 हजार किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना कृषि समुदायों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपये प्रति किलो और मक्का को 30 रुपये प्रति किलो खरीदने की योजना है।

मन्त्रिमण्डल ने पशु पालन विभाग में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के मुद्दों के समाधान और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन करने का निर्णय लिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस उप-समिति के सदस्य होंगे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस में की जाने वाली यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

बैठक में राज्य में निजी आपरेटरों को 168 रूटों के पुनः आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति-2014 के तहत 60:40 की शर्तों में ढील देने को सहमति दी गई।

मन्त्रिमण्डल ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीएआर नियम-2024 की अधिसूचना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य कार्य का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना है। नए नियमों के अनुसार डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग के स्थान पर न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के आधार पर हर वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व मूल्यांकन किया जाएगा।

बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग को दो अलग-अलग विंग में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यस्थित करना, कार्य में दक्षता लाना तथा राजस्व को बढ़ावा देना है।

शहरी विकास निदेशालय में पर्यावरण प्रभाग को सृजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर निगरानी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजित करने को स्वी ति प्रदान की गई है।

बैठक में अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के 12 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी गई।

जिला हमीरपुर के समीरपुर और भरेड़ी खण्डों में जल शक्ति विभाग के नए उपमण्डल कंजयाण के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मन्त्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा में नई बनाई गई उप-तहसील भड़ोली के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति दी।

बैठक में वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 5 पदों को भरने को स्वीकृति दी।

मन्त्रिमण्डल ने जिला हमीरपुर के गलोड़ में नव सृजित पुलिस पोस्ट के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित भरने को स्वीकृति प्रदान की।

आगामी छः माह मे 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का होगा दोहन:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की समीक्षा करते हुए प्रदेश में सौर ऊर्जा

उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिला ऊना के पेखुबेला में 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 10 मेगावाट और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन है। प्रदेश आगामी छः माह में लगभग 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का दोहन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने अधिकारियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने और समयबद्ध पूर्ण करने के साथ-साथ नई परियोजनाओं के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इन परियोजनाओं से प्रदेश के लोग आजीविका कमा सके। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं बोनाफाइड हिमाचलियों को आवंटित की जाएगी और प्रदेश के लोगों को सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है इसलिए जल विद्युत के साथ-साथ सौर ऊर्जा का अधिकतम दोहन सुनिश्चित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं का रख-रखाव आसानी से किया जा सकता है और इनका जीवनकाल भी लम्बा होता है।

हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है और प्रदेश सरकार हरित पहल के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने की दिशा में कार्य रही है। प्रदेश सरकार ई-वाहनों के संचालनों को बढ़ावा प्रदान कर रही है और हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को इलेक्ट्रॉनिक बसों के बेडे में परिवर्तित किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव आर.डी. नजीम, देवेश कुमार, अमनदीप गर्ग, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हरिकेष मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री से लुहरी और सुन्नी जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों ने की भेंट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में लूहरी और सुन्नी जलविद्युत

परियोजना प्रभावितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश के लोगों के हितों की अनदेखी की लेकिन वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) कंपनी सरकार द्वारा मांगी गई रायल्टी प्रतिशतता पर सहमत नहीं होती है, तो सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए 210 मेगावाट लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 और 66 मेगावाट धौलासिद्ध विद्युत परियोजना तथा 382 मेगावाट सुन्नी विद्युत परियोजना का अधिग्रहण करेगी।

मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार रुपये से अधिक आय वाले सम्पन्न परिवारों से 100 रुपये प्रति कनेक्शन शुल्क लेगा तथा इस निर्णय से समाज के कमजोर वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने विधवाओं, एकल नारी, विकलांगों, बीपीएल परिवारों, अनाथों आदि को इस शुल्क से छूट दी है। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनके जल उपयोग के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस मानसून सीजन में हुए नुकसान की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य को अब तक 900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य को केंद्र सरकार से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिली है।

जब तक जीना, तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।
...... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या सरकार की नीतियां जिम्मेदार है विनाश के लिये

प्रदेश भर में इस बार फिर मानसून से जो तबाही हुई है उससे कुछ बुनियादी सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इस विनाश के लिये क्या प्रकृति ही जिम्मेदार है या सरकार की नीतियां और हमारा लालच भी बराबर का जिम्मेदार रहा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है की सरकार की नीतियां लालच से ज्यादा जिम्मेदार रही है। क्योंकि जब नीतियों में ढील दी जाती है तो उससे लालच बढ़ता जाता है। हिमाचल में इस बार फिर बारिश के कारण जो भूस्खलन देखने को मिला है उससे यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि यह सब विकास की कीमत की किस्त तो नहीं है। इस वर्ष प्रदेश में फिर बारिश के कारण नुकसान हुआ है। सड़कें पेयजल योजनाएं और पुल टूटे हैं उन्हें फिर से बनाने में लम्बा समय लगेगा। क्योंकि सरकार पहले ही वित्तीय संकट से गुजर रही है। इस समय कुछ तथ्यों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। शिमला में ही कई हजार अवैध निर्माण उच्च न्यायालय तक के संज्ञान में लाये जा चुके हैं। स्मरणीय है कि हिमाचल में ग्रामीण एवं नगर नियोजन विभाग 1978 में बना था 1979 में एक अंतरिम प्लान भी जारी हुआ था। लेकिन अब तक नौ बार रिटेंशन पॉलिसीयां जारी हो चुकी हैं और हर बार अवैध निर्माणों को नियमित किया गया है। हिमाचल उच्च न्यायालय एन.जी.टी. और सर्वोच्च न्यायालय तक अवैधताओं पर सरकारों को फटकार लगाते हुये दोषियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। अदालत ने दोषियों को नामत: चिन्हित भी कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद किसी के खिलाफ कोई कारवाई नहीं हुई है। हर सरकार ने अवैधताओं को बढ़ावा देने का काम किया है। वर्तमान सरकार ने भी अदालत के आदेशों को अंगूठा दिखाते हुये एटिक को रिहाईशी बनाने और बेसमैन्ट को खोलने के आदेश कर रखे हैं। आज जो तबाही हो रही है उसका एक मात्र कारण निर्माण की अवैधताएं हैं जिन्हें रोक पाना शायद किसी भी सरकार के बस में नहीं रह गया है। इस बारिश में जहां-जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वह ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अदालत ने अवैध निर्माणों का संज्ञान लेकर निर्माणों पर रोक लगाने के आदेश पारित कर रखें हैं। धर्मशाला में बस अड्डे का अवैध निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद टूटा है। चम्बा में रावि पर बनी हैडरेल परियोजना में 65 किलोमीटर तक रावि अपना मूल स्वरूप खो चुकी है। यह जो फोरलेनिंग सड़क परियोजनाएं प्रदेश में चल रही हैं इसका लाभ किस पीढ़ी को मिलेगा यह तो कोई नहीं जानता। लेकिन जितना नुकसान इनसे संसाधनों का हो रहा है उसकी भरपायी कई पीढ़ियों को करनी पड़ेगी यह तय है। फोरलेन जब से बन रहे है तब से हर सीजन में इससे नुकसान हो रहा है।

इस परिदृश्य में यह सोचना आवश्यक है कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों में भी मैदानों की तर्ज पर सड़क निर्माण किया जा सकता है। यह चेतावनी आ चुकी है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। एक समय इन जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पानी नहीं मिल पायेगा। हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये भी यह सोचना पड़ेगा कि जल ताण्डव की जो किश्तें आ रही है इस की दृष्टि में पर्यटन कितना सुरक्षित व्यवसाय रह पायेगा। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। इसलिये आज भी समय है कि ठेकेदारी की मानसिकता से बाहर निकल कर वस्तुस्थिति का व्यवहारिक संज्ञान लेकर भविष्य को बचाने का प्रयास किया जाये।

साइबर अपराधों से विस्तृत और समन्वित तरीके से निपटने के कदम

शिमला। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों पर अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 के लिए है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2022 की अवधि के दौरान साइबर अपराध शीर्षक (माध्यम/लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों से जुड़े) के तहत दर्ज मामले निम्नानुसार हैं:

साइबर अपराध	वर्ष		
	2020	2021	2022
दर्जमामले	50,035	52,974	65,893

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से ऑनलाइन लेनदेन धोखाधड़ी और साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं। साइबर स्पेस की चुनौतियां कई हैं जो इसकी विशालता और सीमाहीन चरित्र से उत्पन्न होती हैं। केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों को उनके एलईए की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से पूरक बनाती है।

साइबर अपराधों से विस्तृत और समन्वित तरीके से निपटने के तंत्र को मजबूत करने के लिए, केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और विस्तृत तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र' (I4सी) की स्थापना की है।

मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए I4सी के तहत सात संयुक्त साइबर समन्वय दल (जेसीसीटी) गठित किए गए हैं, जो साइबर अपराध हॉटस्पॉट/बहु-न्यायालयीय मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर पूरे देश को कवर करते हैं, ताकि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय ढांचे को बढ़ाया जा सके। 2023 में हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए I4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जांच)' की स्थापना की गई है। अब तक, राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जांच) ने साइबर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच में मदद के लिए मोबाइल फोरेंसिक, मेमोरी फोरेंसिक, सीडीआर विश्लेषण आदि जैसे लगभग 10,200 साइबर फोरेंसिक में राज्य एलईए को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

I4सी के एक भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है, ताकि आम जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट कर सके, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पोर्टल पर दर्ज साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में परिवर्तित करने और उसके बाद की कार्रवाई को कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए I4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 7.6 लाख से अधिक शिकायतों में 2400 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राशि बचाई गई है। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' चालू किया गया है।

साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/ न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए I4सी के तहत बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) प्लेटफॉर्म, जिसका नाम 'साइट्रेन' पोर्टल है, विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 96,288 से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत हैं और 70,992 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आज तक 5.8 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,08,000 आईएमईआई को भारत सरकार द्वारा ब्लॉक किया गया है।

I4सी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 6,800 अधिकारियों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण दिया है।

I4सी ने 35,000 से अधिक एनसीसी कैडेटों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण दिया है

गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, जूनियर साइबर सलाहकारों की भर्ती और एलईए के कर्मियों, सरकारी अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण जैसे क्षमता निर्माण के लिए 131.60 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 33 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ चालू की गई हैं और 24,600 से अधिक एलईए कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध जागरूकता, जाँच, फोरेंसिक आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (साक्ष्य) की स्थापना की गई है। इस प्रयोगशाला की स्थापना से साइबर अपराध से संबंधित साक्ष्यों के मामलों में आवश्यक फोरेंसिक सहायता मिलेगी, साक्ष्यों को संरक्षित किया जा सकेगा और आईटी कानून तथा साक्ष्य कानून के प्रावधानों के अनुरूप उनका विश्लेषण किया जा सकेगा, तथा समय की बचत होगी।

साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, केन्द्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट यानी एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@साइबरदोस्त), फेसबुक (साइबरदोस्तआई4सी), इंस्टाग्राम (साइबरदोस्तआई4सी), टेलीग्राम (साइबरदोस्ती4सी) के जरिए संदेशों का प्रसार, रेडियो अभियान, कई माध्यमों में प्रचार के लिए माईगव को शामिल करना, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सहयोग से साइबर सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन, किशोरों/छात्रों के लिए पुस्तिका का प्रकाशन आदि शामिल हैं। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार करने का भी अनुरोध किया गया है।

यह बात गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

पूर्वोत्तर भारत और हिमाचल प्रदेश में मौसमी निगरानी बढ़ाने के लिए 10 एक्स-बैंड डॉपलर मौसम रडार लगेंगे

शिमला। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), परमाणु

ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में मौसम संबंधी पूर्वानुमान और निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए 10 एक्स-बैंड डॉपलर मौसम रडारों (डीडब्ल्यूआर) की खरीद और इंस्टॉलेशन शुरू कर दिए हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि असम में गुवाहाटी, धुबरी, जोरहाट, तेजपुर और सिलचर, मिजोरम में आइजोल, नागालैंड में दीमापुर, मणिपुर में इंफाल, और अरुणाचल प्रदेश में मंडला टॉप और नामसाई सहित पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख स्थानों पर ये रडार लगाए जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि 'इन रडारों से क्षेत्र की मौसम संबंधी घटनाओं की निगरानी और प्रतिक्रिया देने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर में इंस्टॉलेशन के अलावा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के लिए एक एक्स-बैंड डीडब्ल्यूआर की खरीद प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

उन्होंने भरोसा जताया कि हिमालयी क्षेत्र जो कि औचक और गंभीर मौसम परिवर्तनों के चलते संवेदनशील है, वहां मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को बढ़ाने में ये रडार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आपदा तैयारियों में सुधार और इन क्षेत्रों के नागरिकों को सटीक मौसम की जानकारी प्रदान करने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखलाता है।

इन रडारों की तैनाती देश के मौसम संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की भारत सरकार की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। ज्यादा सटीक और समयबद्ध मौसमी भविष्यवाणी करने में सक्षम होने से ये रडार बेहतर आपदा प्रबंधन में योगदान देंगे, संभावित रूप से लोगों की जानें बचाएंगे और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान संपत्तियों को नुकसान को कम करेंगे।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क

शिमला। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) की शुरुआत की थी। इसे जून 2023 में युक्तिसंगत और अधिसूचित किया गया था। एनएसक्यूएफ एक परिणाम और योग्यता-आधारित फ्रेमवर्क है, जो ज्ञान, कौशल, अभिरुचि और जिम्मेदारी के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार योग्यताओं को व्यवस्थित करता है। इसे सीखने के परिणामों के लिहाज से परिभाषित किया जाता है। इसे शिक्षार्थी को औपचारिक, अनौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से हासिल करना चाहिए, जिसमें शैक्षणिक, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल व प्रयोगात्मक शिक्षा शामिल हो सकती है। इसमें अर्जित प्रासंगिक अनुभव और दक्षता/पेशेवर स्तर शामिल हैं, जो मूल्यांकन के अधीन हैं। एनएसक्यूएफ को स्तर 1 से 8 तक अलग किया गया है, प्रत्येक स्तर कौशल, जटिलता, ज्ञान, जिम्मेदारी और स्वायत्तता के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है।

एनएसक्यूएफ की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

मूल्यांकन के अधीन अर्जित प्रासंगिक अनुभव और प्रवीणता/पेशेवर स्तर सहित शैक्षणिक, कौशल और प्रयोगात्मक शिक्षा के विभिन्न आयामों में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल सीखने को एकीकृत और श्रेय देने का प्रावधान करना।

पूर्व-परिभाषित एनएसक्यूएफ/एनसीआरएफ स्तर निर्दिष्ट करते हुए पाठ्यक्रम/योग्यता प्राप्त करने के बाद अपेक्षित ज्ञान, कौशल, योग्यता, जिम्मेदारी और सीखने के परिणामों के लिहाज से वांछित योग्यता स्तरों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना।

स्कूल और उच्च शिक्षा सहित व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास में सीखने के घंटों/वर्षों की संचयी संख्या के आधार पर क्रेडिट स्तर निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करना।

व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षिक समतुल्यता स्थापित करना तथा साथ ही उनके भीतर एवं उनके बीच मोबिलिटी को सक्षम बनाना।

स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास और जॉब मार्केट्स के भीतर और इनके बीच बहु-विषयकता, बहु प्रवेश-बहु निकास (एमई-एमई) और प्रगति पथ को सक्षम बनाना।

छात्रों/शिक्षार्थियों को अपने सीखने के मार्ग और कैरियर विकल्प चुनने के लिए फ्लेक्सबिलिटी प्रदान करना, जिसमें बीच में अपने लिए गए निर्णय में सुधार का विकल्प भी शामिल है।

सभी क्षेत्रों में इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के माध्यम से उद्योग और नियोक्ताओं के साथ घनिष्ठ साझेदारी के माध्यम से सीखने को मान्यता देना।

एक विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षण पूर्व मान्यता प्रदान करना।

एनएसक्यूएफ आजीवन सीखने और कौशल विकास को सक्षम बनाता है और इसे बढ़ावा देता है।

केंद्र सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल-उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस), शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) आदि के माध्यम से देश भर में युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं :

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): पीएमकेवीवाई योजना देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और शिक्षण पूर्व मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना : जेएसएस का मुख्य लक्ष्य गैर-साक्षर, नव-साक्षर और 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा तक शिक्षा के प्राथमिक स्तर और स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। इसमें 'दिव्यांगजन' और अन्य योग्य मामलों के केस में आयु में छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) : यह योजना प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं को वजीफे के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में उद्योग में कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और नौकरी पर प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग में कुशल कार्यबल के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक शृंखला प्रदान करते हैं।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

समग्र शिक्षा का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

शिमला। शिक्षा की व्यवस्था संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश विद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्र सरकार और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, ग्रामीण एवं वंचित विद्यार्थियों सहित देश के छात्रों व छात्राओं की शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित होने वाली विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ जोड़ा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी विद्यार्थी जन्म या पृष्ठभूमि की परिस्थितियों के कारण सीखने तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस नीति में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भौगोलिक पहचान जैसे कि गांवों, छोटे शहरों और आकांक्षी जिलों तथा अन्य श्रेणियों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इस नीति का उद्देश्य पहुंच, भागीदारी और सीखने के परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को समाप्त करना है।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा लागू की है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिशु विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चों को एक समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं तथा विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। समग्र शिक्षा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने हेतु सहायता प्रदान करती है, जैसे कि अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल व शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, पात्र विद्यार्थियों को नि:शुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तकें, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में सहायता, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल पहल, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों-छात्राओं की सुधारात्मक शिक्षण आदि की व्यवस्था करना। समग्र शिक्षा के अंतर्गत, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण और वंचित विद्यार्थियों के साथ-साथ सभी बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विस्तार के लक्ष्य के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन एवं संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना और संचालन, पीएम-जनमन के तहत छात्रावासों की स्थापना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से वित्तीय सहायता, सहायक उपकरण, ब्रेल किट तथा पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को अलग से भत्ता आदि प्रदान किया जाता है।

समग्र की एकीकृत योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ भी जोड़ा गया है, ताकि विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जैसे कि नए शैक्षणिक एवं पाठ्यचर्या संरचना का प्रारंभ, शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल के साथ शिक्षा, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता तथा विद्यार्थियों के विकास के लिए मूल्यांकन में परिवर्तन, अनुभवात्मक व योग्यता आधारित शिक्षा आदि।

उच्च शिक्षा विभाग ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न उपाय किए हैं जैसे कि अत्यंत आवश्यक लचीलापन प्रदान करना, विषयों के रचनात्मक संयोजन की अनुमति देना, कई अवसर उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता ढांचा, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), बहु प्रवेश/निकास के माध्यम से विद्यार्थियों की सहायता में समतुल्यता एवं गतिशीलता स्थापित करना, भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम व पुस्तकों/पाठ्यक्रम सामग्री की पेशकश, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने तथा विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रशासन व व्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, शिक्षार्थियों को स्वयं मंच से 40 प्रतिशत क्रेडिट पाठ्यक्रम का लाभ उठाने की अनुमति देना, प्रशिक्षुता प्राप्त करने के उद्देश्य से औद्योगिक अकादमिक सहयोग और औद्योगिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या विकसित करना, उद्योग-अनुरूप पाठ्यक्रमों की पेशकश करना, शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना आदि।

उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षिक रूप से अप्रयुक्त/वंचित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के परिव्यय को लेकर जून, 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों सहित विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

पीएम-उषा कार्यक्रम के तहत फोकस वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। इन जिलों की पहचान संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिसमें निम्न सकल नामांकन अनुपात, लिंग समानता, जनसंख्या अनुपात एवं महिलाओं, किन्नरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नामांकन अनुपात, आकांक्षी/सीमावर्ती क्षेत्र/वामपंथी उग्रवाद से ग्रस्त जिले आदि शामिल हैं।

यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय

ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्र में गारंटिड रोजगार अवसर प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और इन क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण से गावों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी बसती है और मनरेगा के तहत एक वर्ष में 100 कार्य दिवस का गारंटिड रोजगार प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा के तहत अतिरिक्त बीस दिनों के कार्य दिवस का प्रावधान किया गया है, जिस पर होने वाला सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अप्रैल, 2024 से मनरेगा दिहाड़ी को 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिहाड़ीदारों को लाभान्वित किया है।

बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई और अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में 344 लाख से अधिक कार्य दिवस अर्जित किया गए, जिनमें से 64 प्रतिशत कार्य दिवस महिलाओं द्वारा अर्जित किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 में जुलाई तक 144 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं।

मनरेगा को प्रदेश में लागू करने से अब तक इसके तहत 11 लाख 71 हजार 739 कार्यों में से लगभग 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य निर्माणाधीन हैं। बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत 1288 करोड़ 24 लाख रुपये से अधिक व्यय किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 में जुलाई तक लगभग 688 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 99 प्रतिशत से अधिक मामलों में समय पर मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नामित सदस्यों ने परिषद के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि परिषद के समक्ष आये सुझावों को लोगों के कल्याणार्थ एवं पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रभावी रूप से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।

बैठक में निदेशक ग्रामीण विकास एवं आयुक्त मनरेगा राघव शर्मा, निदेशक मत्स्य पालन विवेक चन्देल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लोक निर्माण मंत्री ने शिमला शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की

शिमला/शैल। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम शिमला एवं शहरी विकास विभाग के साथ आयोजित बैठक में शिमला शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों व क्षेत्र की लंबित मांगों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत नगर निगम शिमला के तहत आने वाले क्षेत्रों में चल रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का ब्योरा लिया तथा विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नगर निगम शिमला के तहत कई क्षेत्रों में विद्युत के खम्बों पर कई तरह के केबल के जाल बना दिये गए हैं। उन्होंने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि इससे शहर की सुन्दरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही यह सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर विषय है। उन्होंने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को इन केबल वायर को तुरंत हटाने तथा एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने शिमला शहर में विभिन्न स्थानों पर बन रही पार्किंग, पुल, लिफ्ट इत्यादि कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने एवं रिज मैदान के समीप क्षतिग्रस्त डंगे की तुरंत मरम्मत करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने सभी पार्षदों से वार्ड में पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर प्रस्ताव शीघ्र विभाग को भेजने को कहा, ताकि शिमला के हर वार्ड में पार्किंग की समस्या का समाधान किया जा सके। उन्होंने शिमला शहर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक क्लब व बच्चों के लिए हर वार्ड में उपयुक्त स्थान पर एक खेल मैदान बनाने के बारे में भी चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में तुरंत कार्यवाही आरम्भ की जाए।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिमला जल प्रबंधन निगम की प्रथम पेयजल योजना बल्क वॉटर सप्लाई स्कीम सुन्नी-शकरोड़ी शीघ्र ही आरंभ कर दी जाएगी, ताकि शहरवासियों को किसी भी प्रकार की पेयजल समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जिन विभागों के पास स्वीकृति के मामले लंबित हैं, उन्हें अति शीघ्र पूर्ण किया जाए।

इस अवसर पर शिमला शहरी क्षेत्र के विधायक हरीश जनारथा, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, विभिन्न वार्डों के पार्षद, आयुक्त नगर निगम शिमला भूपेन्द्र कुमार अत्री, निदेशक शहरी विकास विभाग गोपाल शर्मा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की निदेशक मंडल की बैठक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने सोमवार को शिमला में 45वीं निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की।

नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि जरूरतमंद और योग्य निर्माण श्रमिकों तक बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करना बोर्ड की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने जिला टीमों को बोर्ड के लाभार्थियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कामकाज में सुधार के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लंबित महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई।

इससे पूर्व, बोर्ड के सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया।

निदेशक ने गैर सरकारी सदस्यों के सहयोग और बैठक के दौरान बहुमूल्य सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर बोर्ड के उप श्रम आयुक्त मनीष करोल, हिमाचल प्रदेश सरकार के उप सचिव श्रम एवं रोजगार अमर सिंह तथा सहायक नियंत्रक वित्त एवं लेखा नरेश चौहान, गैर सरकारी सदस्यों में रविंदर सिंह रवि, भूपेन्द्र सिंह अत्री, जगदीश भारद्वाज, प्रेम ठाकुर और हेमा तंवर उपस्थित थे।

विक्रमादित्य सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य अधोसरंचना और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर और विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को पांवटा साहिब के यमुना पुल की मरम्मत और पुनर्वास के दौरान बेयरिंग को बदलने के लिए यातायात परिवर्तित करने का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने के लिए यमुना पुल की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन यातायात की आवाजाही के दौरान पुल पर भारी कम्पन की स्थिति बनी रहती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आकलन और प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर 22 दिसंबर, 2020 को पुल की मरम्मत की स्वीकृति प्रदान की गई। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने 18 सितंबर, 2021 को 1.44 करोड़ रुपये के बजट के साथ पुल की मरम्मत का कार्य अवार्ड किया। मरम्मत कार्य को पूरा करने में विलंब हुआ क्योंकि बेयरिंग को बदलने के लिए पुल पर दो माह के लिए यातायात आवाजाही को बंद किया जाना बेहद जरूरी था।

उन्होंने कहा की पुल के मरम्मत कार्य के दौरान यातायात को परिवर्तित करने की व्यापक योजना बहुत जरूरी है ताकि यात्रियों को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी सुचारू रूप से बनी रहे। उन्होंने कहा कि यातायात परिवर्तित करने की योजना को अति शीघ्र शुरू करना बहुत जरूरी है जिसके लिए दोनों राज्यों में समन्वय की आवश्यकता है।

उन्होंने पुष्कर सिंह धामी से नैटवाड़ और पुजारली सड़क के निर्माण कार्य में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा की दूर-दराज के क्षेत्रों को मानसून और सर्दियों के दौरान जोड़ने और संपर्क रखने के लिए यह सड़क बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा की सर्दियों और खराब मौसम में डोडरा क्वार में कनेक्टिविटी न होने से यह क्षेत्र देश और दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। उन्होंने इस मार्ग पर निर्माण की लंबित प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया ताकि सर्दियों में निर्बाध सड़क कनेक्टिविटी बनी रहे।

उन्होंने दोनों राज्यों की सीमा साझा करने वाले और सामरिक महत्व के प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में भी पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की।

विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष के माध्यम से बातचीत भी करवाई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हाल ही में आई आपदा और पहाड़ी क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा की।

दोनों मुख्यमंत्रियों ने सहमति जताते हुए कहा की केंद्र सरकार के समक्ष इन चुनौतियों को रखा जाएगा ताकि केंद्र आपदा प्रभावित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान केंद्रित कर सके।

वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट एपीएआर प्रणाली में संशोधन की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों के मूल्यांकन को सीधे उनके कार्य परिणामों से जोड़कर जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सचिवों और जिलों में तैनात उपायुक्तों सहित सभी अधिकारियों का मूल्यांकन केवल उनके एपीएआर के आधार पर किया जाएगा। नई प्रणाली के तहत प्रदर्शन मूल्यांकन सीधे सभी अधिकारियों के कार्य परिणामों से जुड़ा होगा। उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा और औसत जैसी पारंपरिक वर्णनात्मक श्रेणियों को एक संख्यात्मक ग्रेडिंग स्केल से बदल दिया जाएगा। उनकी वार्षिक कार्य योजना की उपलब्धियां, अन्य कार्य-संबंधी विशेषताएं और व्यक्तिगत व कार्यात्मक विशेषताएं सुधारों में नकारात्मक अंकन भी शामिल है। अधिकारियों का मूल्यांकन तीन प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी आदेशों या परामर्श का पालन न करने पर अधिकारियों के 1-10 के मापदण्ड पर अपने समग्र ग्रेड से दो अंक कम होने की भी संभावना हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता को एक प्रमुख मापदंड के रूप में रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को उनका मूल्यांकन प्राप्त होगा, जो कार्य को बढ़ावा देगा और उनके कार्य प्रदर्शन में सुधार को प्रोत्साहित करेगा। एपीएआर प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे संचालन सुव्यवस्थित होगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा लागू होगी।

उन्होंने कहा कि यह संशोधन निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं, विशेष रूप से क्षेत्र-स्तर के अधिकारियों के लिए, जिनका प्रदर्शन मात्रात्मक लक्ष्यों को पूरा करने से जुड़ा होगा। उन्होंने कहा कि उच्च प्रबंधन अधिकारियों का गुणात्मक पहलुओं और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर मूल्यांकन जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुधार प्रशासन को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और इससे प्रशासन के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने एचआईवी जागरूकता अभियान का किया शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अतंर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एचआईवी जागरूकता अभियान की शुरुआत की, जो 12 अक्तूबर, 2024 तक चलेगा। प्रदेश के सभी जिलों में यह जागरूकता अभियान गांव स्तर तक चलाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी

दिखाकर रवाना किया तथा दो महीने तक चलने वाले इंटिग्रेटिड हेल्थ चेकअप अभियान का भी शुभारंभ किया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 'क्लिक से प्रगति की ओर–सतत् विकास के लिए युवा डिजिटल माध्यम' के थीम पर मनाया जा रहा है।

अपने संबोधन में ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार एड्स से पीड़ित रोगियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ''राज्य सरकार एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी केंद्रों में निःशुल्क उपचार करवाने वाले व्यक्तियों को 1500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता और पीड़ितों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 300 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ ही उपचार के लिए आने वाले व्यक्तियों को फ्री बस यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है।''

उन्होंने कहा कि एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि एचआईवी की जांच सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क की जाती है और जांच करवाने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एड्स जागरूकता पर आधारित एक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम के दौरान आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कैंसर के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके अध्ययन के लिए राज्य सरकार ने आईसीएमआर से सम्पर्क किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को उनके उपचार के लिए 42 दवाइयां मुफ्त प्रदान कर रही है। इन दवाइयों को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। इन दवाइयों में कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला ट्रासटूजूम्ब टीका भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपये होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नशे व अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ''राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए सरकार ने डाइट मनी को 240 से बढ़ाकर 400 रुपए, जिला स्तर के लिए 300 रुपये और खंड स्तर के लिए 240 रुपए किया है। राज्य से बाहर खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी को 500 रुपए किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाली यात्रा सुविधाओं में भी बढ़ौतरी की है। 200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खिलाड़ियों को एसी–थ्री टियर रेल का किराया और 200 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने वाले खिलाड़ियों को इकोनोमी क्लास में हवाई सफर का किराया प्रदान किया जा रहा है।

विंटर ओलम्पिक तथा पैरालम्पिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को पांच–पांच करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को तीन–तीन करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को दो–दो करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही एशियाई और पैरा–एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को चार करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपए तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1.50 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, और अधोसंरचना में सुधार लाने के साथ–साथ राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि 2032 तक हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्धतम राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे–बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रदेश के 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीटयूट ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। जहां पर स्मार्ट क्लास रूम, ऑडियो–वीडियो विज़ुअल टीचिंग जैसी सुविधाएं होंगी। पांच से कम बच्चों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है तथा शैक्षणिक संस्थानों में आवश्यकता के आधार पर भविष्योन्मुखी पाठयक्रम शुरू किए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने कॉलेज जीवन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के राजनीतिक संघर्षो के बारे में बताते हुए युवाओं को राष्ट्र के विकास के लिए आगे आने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि युवा देश की ऊर्जा है और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि युवा हमारे शक्ति के स्रोत हैं और कल का भविष्य भी हैं, इसलिए राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को नशे से बचाना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही एड्स और एचआईवी के बारे में युवाओं को जागरूक करना भी अहम है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को एचआईवी और यौन रोगों से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जानी चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को इन रोगों से बचाया जा सके और वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके तथा एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।

राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए एड्स जागरूकता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी और संजय अवस्थी, विधायक सुरेश कुमार व हरीश जनारथा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

निराश्रितों की अभिभावक है प्रदेश सरकार, देंगे हर सुविधा:धनी राम शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में मुख्यमी सुख–आश्रय कोष के तहत गतिठत राज्यस्तरीय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निराश्रित बच्चों एवं महिलाओं सहित समाज के संवेदनशील वर्ग के कल्याण के प्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकार गठन के तुरंत बाद 100 करोड़ रुपये के सुख–आश्रय कोष एवं सुख–आश्रय योजना की शुरूआत की।

बैठक में योजना के तहत निराश्रित बच्चों को प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं की समीक्षा की गई और शिक्षा और विवाह अनुदान के सम्बंध में आए आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में योजना के तहत भवन निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्टार्ट–अप के आवेदनों की भी समीक्षा की गई।

बैठक में सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आशीष सिंहमार, निदेशक महिला एवं बाल विकास रूपाली ठाकुर, निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण किरण भड़ाणा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ई–बसों की खरीद से हरित ऊर्जा राज्य का सपना होगा साकारः मुख्यमंत्री

ई–बसों की खरीद से हरित ऊर्जा राज्य का सपना होगा साकार: मुख्यमंत्री

327 करोड़ रुपये से की जा रही है ई–बसों की खरीद

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक की अध्यक्षता

करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार निगम को आर्थिक घाटे से उबारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और निगम को आत्मनिर्भर बनाएगी।

उन्होंने कहा कि बस सेवा सुविधाएं प्रदेश के लोगों के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है क्योंकि प्रदेश में परिवहन का यह मुख्य साधन है। हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को सुलभ और सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाता है और निगम के 12 हजार कर्मचारी इस संस्था की नींव हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को हरित परिवहन प्रणाली में परिवर्तित किया जा रहा है और विश्वसनीय परिवहन सेवा के लिए निगम में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को शामिल किया गया है। वर्तमान में निगम की 110 ई–बसें और 50 ई–टैक्सियां कार्यशील हैं। इसके अतिरिक्त, निगम को आर्थिक घाटे से उबारने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं और अतिरिक्त दो हजार टाइप–2 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्रक्रिया चल रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि निगम धार्मिक स्थानों में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। इस कड़ी में पहले चरण में श्रालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या के लिए छह बसों की सुविधा दी गई है और आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है।

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में निगम विश्वसनीय परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि गत सात माह से निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को हर माह के पहली तारीख को वेतन और पेंशन मिल रहा है, जबकि पिछली भाजपा सरकार के दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों को आठ से 10 दिनों के बाद वित्तीय अदायगी की जाती थी।

अधोसंरचना सलाहकार अनिल कपिल, प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निगम के प्रबन्ध निदेशक रोहन चंद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक भाग लिया।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में रोजगार सृजन की योजनाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता: उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हिमाचल प्रदेश के निदेशक मंडल की आयोजित 242 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्र्तगत प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं, कारीगरों, बुनकरों आदि को सुक्ष्म व लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2023–24 के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए बोर्ड की सराहना की।

उद्योग मंत्री ने प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता में सभी कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की एक समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सकें।

उद्योग मंत्री ने बोर्ड के 14 सेवानिवृत कर्मचारियों को वर्ष 2020 से लंबित 89.09 लाख रुपये भुगतान करने के निर्देश दिए। निदेशक मण्डल ने गांधी जयंती पर 2 अक्तूबर से खादी के उत्पादों पर 20 प्रतिशत की विक्री छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।

बैठक में प्रधान सचिव उद्योग आर.डी. नज़ीम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रशांत सरकैक, उप–निदेशक उद्योग अनिल ठाकुर व खादी बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

पुलिसकर्मियों की एचआरटीसी की यात्रा के फैसले को वापस ले सरकार:जयराम ठाकुर

- सरकारी काम के लिए अपने वेतन से हर साल पाँच करोड़ दे रहे हैं पुलिस कर्मी
- पाँच करोड़ रुपये देने के बाद पुलिस पर मुफ्त यात्रा का आरोप शर्मनाक
- राजस्व बचाने के लिए अपने सलाहकारों की फौज और कैबिनेट रैंक पर करे गौर

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी

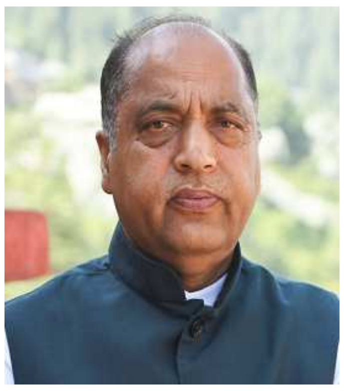

बयान में सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को मिल रही एचआरटीसी की सुविधा को वापस लेने के फ़ैसले की निंदा करते हुए उसे वापस लेने की माँग की है। शासकीय कार्यों से बस की यात्रा करने के बदले सभी पुलिस कर्मी हर महीनें अपने वेतन से सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि कटवाते हैं। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि वह मुफ़्त यात्रा कर रहे हैं। सरकार की तरफ़ से इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। जो पुलिस बल हर साल एचआरटीसी को पांच करोड़ रुपये का आर्थिक सहयोग कर रहा है। उसी पर सरकार में बैठे लोगों द्वारा अशोभनीय टिप्पणियाँ की जा रही हैं। जैसे पुलिस बल बिना किसी कार्य के ही बसों में यात्रा करता है। सरकार के मंत्रियों द्वारा पुलिस बल के लिए मुफ्त यात्रा और एचआरटीसी का 'मिसयूज़' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। यह आपत्तिजनक है, इसके लिए सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर सरकार को राजस्व बचाना और बढ़ाना है तो वह अपने सलाहकारों की फ़ौज और मनमर्ज़ी से बांटे गये कैबिनेट रैंक पर भी गौर करे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस बल की कार्य विविधताओं को देखते हुए सरकार द्वारा एचआरटीसी में अनुदानित यात्रा करने का प्रबंध किया गया। पुलिस द्वारा सरकारी काम से बहुतायत यात्राएं करनी पड़ती है। आपात सेवाओं में शामिल के कारण उन्हें 24 घंटें में कभी भी सेवाएं देनी पड़ती हैं। कभी किसी मुलज़िम के लिए समन ले जाना, कभी किसी अपराधी को इधर-उधर ले जाना। ज़िलों से तबादलों के बाद भी साक्ष्य में अलग-अलग ज़िलों में जाना, रिटायर होने के बाद भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इनमें से एक भी निजी काम निजी है। इन कामों के लिए सरकार कितने पैसे पुलिस कर्मियों को देती है। एक निर्धारित धनराशि लेकर बसों में यात्रा करने को सरकार द्वारा इस तरह मुद्दा बनाया जा रहा है। जो बेहद अपमानजनक है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार चाहे तो सर्वे करवा ले पुलिस बल का एक बड़ा हिस्सा बस सेवाओं का इस्तेमाल कभी नहीं करता है। इसके बाद भी वह हर महीनें सरकार द्वारा निर्धारित की गई धनराशि अपने वेतन से कटवाता है। लेकिन किसी पुलिस कर्मी ने इस कटौती का विरोध नहीं किया। सरकार कह रही है कि ड्यूटी के लिए की गई यात्राओं पर सरकार 'रिम्बर्स' करेगी। सवाल यह है कि पुलिस अपनी जेब से पैसे लगाकर क्यों सरकारी काम करे? क्या रिम्बर्स की प्रक्रिया इतनी आसान होगी? क्या रिम्बर्स के लिए डॉक्युमेंट्स तैयार करने में समय और संसाधन नहीं लगेंगे? क्या पुलिस द्वारा जमा किए गए डॉक्युमेंट्स को प्रॉसेस करने में मानवशक्ति, समय और संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो काम आसानी से हो सकता है, उसे अनावश्यक जटिल बनाने की क्या आवश्यकता है? सरकार प्रदेश के पूरे सिस्टम को एक संदिग्ध की नज़र से देखना बंद करे और तुग़लक़ी फ़ैसले से बाज़ आए। सरकार पुलिसकर्मियों को एचआरटीसी में मिल रही अनुदानित सेवाओं को पुनः बहाल करे।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बी योजना......पृष्ठ 1 का शेष

पर लोगों को केवल गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और तथ्य युवाओं को मिल रहे लाभ की कहानी बता रहे हैं। भाजपा नेताओं की तथ्यहीन ब्यानबाजी यह बता रही है कुंठा में इस तरह के ब्यान दे रहे हैं। प्रदेश सरकार युवाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

कांग्रेस सरकार जनता पर एक के बाद एक लगातार बोझ डाल रही है:बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जो मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही है, हिमाचल की जनता के उपर एक के बाद एक लगातार

बोझ डाल रही है। कहां तो यह सरकार वोट लेने से पहले घोषणाएं करती रही कि महिलाओं को राहत मिलेगी, महिलाओं को पैसा मिलेगा, युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसानो का दूध 100 रू. लीटर बिकेगा, गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी न जाने क्या-क्या घोषणाएं होती रही परन्तु जब से यह सरकार सत्ता में आई है, सबसे पहले डीजल के उपर 7 रू. प्रतिलीटर वैट लगाकर हर व्यक्ति की जेब को हल्का करने का काम किया है, क्योंकि डीजल हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। डीजल का रेट बढ़ने से आम आदमी का 2000 से 2500 करोड़ रू. सरकार की जेब में गया। इसके बाद जन उपयोग के लिए इस्तेमाल में आने वाली स्टैम्पस जो राजस्व विभाग में इस्तेमाल होती है स्टैम्प ड्यूटी को 100 प्रतिशत तक अनेक स्थानो पर बढ़ा दिया गया है जिससे आम आदमी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी के आवागमन का एकमात्र साधन एचआरटीसी है, इनके किराये में भी सरकार ने बढ़ौतरी कर दी। न्यूनतम किराया जो 5 रू. था उसको बढ़ाकर 12 रू. कर दिया, सामान का किराया बढ़ा दिया और जो राहत अलग-अलग श्रेणी में मिलती थी उनको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यही नहीं, बिजली के उपर लगने वाले सैस को बढ़ा दिया, बिजली के घरेलू, व्यवसायिक व गैर-व्यवसायिक दरों को बढ़ा दिया जिससे हर व्यक्ति की जेब पर बोझ बढ़ा।

डॉ. बिन्दल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जो मुफ्त पानी की सुविधा मिल रही थी उसको भी समाप्त कर 100 रू. प्रति कनेक्शन रेट लगा दिया और अब सफाई दे रहे हैं जिसकी आय 50 हजार रू. से कम है, उसे कोई शुल्क नहीं लगेगा। उन्होनें कहा कि यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 50 हजार से कम आय का प्रमाण पत्र कोई भी पटवारी नहीं देता है। उन्होनें कहा कि कहां तो यह सरकार मुफ्त बिजली देने की बात करती थी, मुफ्त पानी जो पहले से ही मिल रहा था, युवाओं को सालाना एक लाख सरकारी नौकरियां देने की बात करती थी लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही टैक्स पर टैक्स लगाकर जनता की दुश्वारियां बढ़ाने में यह सरकार जुटी हुई हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का विकास बंद है, लोन लेने का काम तेज गति से चला हुआ है और चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता की जेब पर बोझ डालने में वर्तमान कांग्रेस सरकार लगी हुई है। इस सरकार को प्रदेश की जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है।